न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 07/2025

बउनवान

श्याम आयु 40 वर्ष पुत्र श्री बंशीलाल, जाति मीणा, निवासी भावगढ़, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 26.03.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 08.04.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम भावगढ़ तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 309, 384 रकबा 0.48 है., किस्म–बरानी I पर अतिक्रमी मानकर दिनांक 08.04.2022 को निर्णय पारित कर 240/–रूपये शास्ति आरोपित कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई, जवाबदेहीं का अवसर नही दिया तथा बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट को गलत रूप से पश्चातर्क्ती अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा है ना ही ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब कर त्रुटि की है। अपीलांट बीमार व्यक्ति है मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.04.2022 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.04.21 16:23:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.04.2022 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2077 फसल रबी में भी उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 328/2021 निर्णय दिनांक 22.02.2021 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 309, 384 रकबा 0.48 है0 किस्म बारानी I ग्राम भावगढ़ पर सम्वत् 2077 फसल रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 328/2021 में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 113/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.04.21 16:23:01 IST
Reason: SelfAttested